

संपत्ति अबभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 641 2010

आवेदक सं० 641 2010

चूँकि श्री Secretary, B. B. M. B.Ed. College ने मेरे इस

आवेदन किया है कि निम्नलिखित

संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित संव्यवहारों अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाय।

Sardaha, through
Sukhdas Pandey, Adv.

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अबभारों के बारे में वहीं ॥

में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों ॥ में ता० 1991 to upto date तक तलाश

की गयी और ऐसा तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदारी	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mohza - Khat - Plot Area -		Sardaha 124 67, 44 788, 813, 797. 65 dec.		Free membership			

क)

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

ख)


1) बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)


मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सदव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्तियों ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 
11-8-10

(पदनाम) :-

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- 
11-8

(पदनाम) :-

कार्यालय :- D. S. R. O. Balerno.

तारीख :- 11-8-10 मुहर



निबन्धन प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर
11-8-10

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो सदव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही सम्पत्तियों को निबन्धित दस्ता वेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सदव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम को 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिदिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

[क] किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इस लिए कार्यालय में उपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[ख] और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उनके द्वारा ढुंढे गये सदव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे सदव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।